प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2020**

विषयः- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-81 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-41/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020-21, दिनांक-06-07-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित 171 आवास निर्माण के लक्ष्यों के सापेक्ष शासनादेश संख्या-04/2020/207/38-4-2020-02(बजट)/2018, दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 70.60 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति की शर्त संख्या-09 को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 70.60 लाख हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-04/2020/207/38-4-2020-02(बजट)/2018, दिनांक 02.07.2020 के प्रस्तर-2- (09) की प्रतिबन्ध/शर्त निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

बिन्दु संख्या	शासनादेश दिनांक 02.07.2020 में लगाई गयी शर्त/प्रतिबन्ध	संशोधित शर्त/प्रतिबन्ध
09	योजनान्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को धनराशि कोषागार से ई-पेमेण्ट के माध्यम से सीधे बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।	योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-878/X-2020, दिनाक-08 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव ।

संख्या-08/2020/270(1)/38-4-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।

http://srlanaveen.up.gov.in

9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
14. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
15. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
16. बजट निदेशक, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 उ0 प्र0 शासन।
17. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in